राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

चतुर्थ तल,छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल व्यावसायिक परिसर, (दक्षिण पूर्व कॉर्नर)
सेक्टर–27, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन–492015 (छत्तीसगढ)
दूरभाष–0771–2511287, 2511285, ई–मेलः office.mdnrhm@gmail.com

विज्ञापन क्रमांक/NHM/HR/2021/NS-1013/2134 **नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03/11/2021**

//विज्ञापन//

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ अंतर्गत प्रदेश के हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटरों के सुचारू संचालन हेतु भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा जारी अर्द्धशासकीय पत्र क्र.Z-15015/4/2019-NHM-I (Part-I) दिनांक 25 नवम्बर 2019 में दिये गये निर्देशानुसार ***सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी*** (Community Health Officer) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अर्हता (B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing Certificate in Community Health **Integrated Course**) रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट **www.cghealth.nic.in** के माध्यम से दिनांक 05.11.2021 से 25.11.2021 सायं 05:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं।

भर्ती हेतु संभागवार, आरक्षण रोस्टर अनुसार रिक्त पदों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है–

संभाग	रिक्त पदों का विवरण												
	कुल रिक्त पद	कुल मुक्त रिक्तियाँ वर्गवार				कुल रिक्तियों में भू.पू.सै. वर्गवार				कुल रिक्तियों में दिव्यांग वर्गवार			
		अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
रायपुर	500	248	76	63	63	8	3	2	2	19	6	5	5
बिलासपुर	700	277	158	107	88	9	5	4	3	22	12	8	7
दुर्ग	480	246	74	52	60	8	2	2	2	19	6	4	5
बस्तर	500	72	302	14	63	2	10	0	2	6	23	1	5
सरगुजा	520	122	257	23	66	4	9	1	2	9	20	2	5
महायोग–	**2700**	**965**	**867**	**259**	**340**	**31**	**29**	**9**	**11**	**75**	**67**	**20**	**27**

- यह भर्ती माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीसन (सी) 591/2012 रिट पिटीसन (सी) 592/2012, रिट पिटीसन (सी) 593/2012, रिट पिटीसन (सी) 594/2012 में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों के वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
- उक्त पद हेतु केवल (OL) एक पैर दिव्यांग ही पात्र होंगे।
- **सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी** के पद पर सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ सम्मिलित बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्टबेसिक–बी.एससी.नर्सिंग पाठ्यक्रम (B.Sc. Nursing/ Post Basic B.Sc. Nursing Certificate in Community Health **Integrated Course**) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का संभागवार, संवर्गवार मेरिट के आधार पर चयन किया जावेगा।

1. **चयनित अभ्यर्थियों के लिए मानदेय एवं अन्य सुविधाऐं –**

1.1 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (संविदा) के रूप में कार्य करने के दौरान प्रतिमाह राशि रू. 16,500/– (अक्षरी रूपये सोलह हजार पांच सौ मात्र) वेतन एकमुश्त एवं साथ में कार्य–प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि (Performance Based Incentive) प्रतिमाह अधिकतम राशि रू. 15,000/– तक दी जायेगी। इस संबंध में मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश लागू होंगे।

2. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा जारी अर्द्धशासकीय पत्र क्र.Z-15015/4/2019-NHM-I (Part-I) दिनांक 25 नवम्बर 2019 में दिये गये निर्देशानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की भर्ती Integrated Nursing Course से सफल अभ्यर्थियों से की जानी है। अतः सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (Community Health Officer) पद हेतु निम्नानुसार शैक्षणिक आर्हता होगी :–

2.1 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ सम्मिलित बी.एस. सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (B.Sc. Nursing Certificate in Community Health **Integrated Course**) उत्तीर्ण।

अथवा

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (Post Basic B.Sc. Nursing Certificate in Community Health **Integrated Course**) उत्तीर्ण।

2.2 अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन नहीं होने की स्थिति में चयन के पश्चात् 45 दिवस का समय प्रदान किया जावेगा।

3. **आयु सीमा :–**

3.1 अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2021 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष छूट प्रदान किया जावेगा। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा में छूट के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देश/आदेश/नियम (यथासंशोधित) लागू होंगे, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4. **नियम एवं शर्तें :–**

4.1 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ सम्मिलित बी.एस. सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (B.Sc. Nursing Certificate in Community Health **Integrated Course**) उत्तीर्ण एवं सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (Post Basic B.Sc. Nursing Certificate in Community Health **Integrated Course**) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का संभागवार, संवर्गवार संयुक्त मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

4.2 संभागवार/वर्गवार अभ्यर्थियों की संख्या उपलबध रिक्त पदों की संख्या से अधिक होने पर ऐसे समस्त अतिरिक्त अभ्यर्थियों की वर्गवार संयुक्त प्रावीण्य सूची बनाकर अन्य संभाग में उपलब्ध रिक्त पदों हेतु काउंसिलिंग कर पदस्थापना की जावेगी।

4.3 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद पर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन में अंकित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जावेगी। (बी.एस.सी. –नर्सिंग / पोस्ट बेसिक नर्सिंग के अंतिम वर्ष की अंकसूची में अंकित एग्रीगेट अंक ऑनलाईन आवेदन में भरा जावे) इसी मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा।

4.4 पदस्थापना स्थल के चयन हेतु प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी उपरांत मेरिट के आधार पर आवश्यकतानुसार ऑनलाईन / ऑफलाईन काउंसिलिंग आयोजित की जावेगी, जिसकी सूचना पृथक से विभागीय वेबसाईट के माध्यम से दी जावेगी।

4.5 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मानव संसाधन नीति, 2018 के अनुसार कुल पदों के उपलब्धता अनुसार अधिकतम तीन गुना अभ्यर्थियों की सूची संभागवार प्रावीण्यता के आधार पर प्रसारित की जावेगी।

4.6 ऐसे अभ्यर्थी जो सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ सम्मिलित बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (B.Sc. Nursing Certificate in Community Health **Integrated Course**) अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (Post Basic B.Sc. Nursing Certificate in Community Health **Integrated Course**) उत्तीर्ण हो उन्हें विज्ञापन में संलग्न Appendix-I अनुसार **Integrated Course** उत्तीर्ण होने का प्रमाण–पत्र संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर कराकर ऑनलाईन आवेदन करते समय अपलोड करना अनिवार्य होगा।

4.7 विज्ञापन तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में बाद की तिथि में प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

4.8 विज्ञापित संभागवार पदों हेतु संबंधित संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। संबंधित संभाग के स्थानीय निवासी न मिलने की स्थिति में अन्य संभाग के अभ्यर्थियों को आरक्षण एवं मेरिट के आधार पर चयनित किया जावेगा।

4.9 समान अंक होने की अवस्था में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।

4.10 शासकीय संस्थानों में सेवारत अभ्यर्थी द्वारा काउंसिलिंग के दौरान संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4.11 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नीति लागू होगी साथ ही इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियम भी लागू होंगे। जाति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4.12 (अ) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ / 20–4 / 2014 / आ.प्र. / 1–3 नया रायपुर, दिनांक 27.09.2014 अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं / पदों में आरक्षण के लिये पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ब) समाज कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश दिनांक 25.09.2014 के निहित में प्रावधानानुसार उक्त पदों के लिये उपयुक्त OL (एक पैर) दिव्यांग ही पात्र होंगे। मूल प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4.13 भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग को नियमानुसार आरक्षण दिया जायेगा। भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4.14 पदस्थापना से पूर्व अभ्यर्थी को अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसके तहत उपरोक्त पद पर उन्हें हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के रूप में चिन्हांकित उपस्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम 03 वर्ष तक कार्य करना अनिवार्य होगा।

4.15 समस्त परीक्षार्थियों को आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार शुल्क ऑनलाईन के माध्यम से जमा करना होगा।

वर्ग	शुल्क का विवरण
विकलांग / अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला	100
अन्य पिछड़ा वर्ग (पुरूष)	200
अनारक्षित वर्ग (पुरूष)	300

अभ्यर्थी आवेदन शुल्क भुगतान की रसीद अपने पास अनिवार्य रूप से रखें ताकि शुल्क जमा न होने के कारण अपात्र किये जाने पर अभ्यर्थी दावा–आपत्ति में भुगतान की रसीद प्रस्तुत कर सकें।

5. ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया :–

5.1 अभ्यर्थियों से विभागीय वेबसाइट **www.cghealth.nic.in** पर ऑनलाईन आवेदन दिनांक 05.11.2021 से 25.11.2021 सायं 05:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। अन्य निर्देश / आदेश / जानकारी भी उक्त वेबसाईट के माध्यम से दी जावेगी।

5.2 अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरा जाना अनिवार्य होगा। चयन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज परीक्षण की प्रक्रिया के समय आवेदक के समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया जायेगा।

5.3 ऑनलाईन भरे हुये आवेदन में तथा दस्तावेजों के परीक्षण में किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिये अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। गंभीर त्रुटि पाये जाने की अवस्था में वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये भी अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। **कृपया ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सतर्कता / सावधानी बरतें।**

6. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :–

6.1 केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जावेंगे। पोस्ट / कुरियर / ऑफलाईन या अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

6.2 अभ्यर्थियों हेतु दावा–आपत्ति एवं मेरिट सूची विभागीय वेबसाईट **cghealth.nic.in** पर जारी की जायेगी एवं इसके अलावा कोई अन्य माध्यम से सूचित नहीं किया जावेगा।

6.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगे।

6.4 किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

6.5 ऑनलाईन आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपने स्वयं का वैध मोबाईल नंबर एवं ई–मेल पता ऑनलाईन आवेदन में भरें तथा इसे सुरक्षित रखें, जिससे उक्त भर्ती से संबंधित जानकारी हेतु संपर्क/पत्राचार किया जा सके। साईबर कैफे अथवा किसी कम्प्यूटर सेंटर से ऑनलाईन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी अपना स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई.डी. ही आवेदन में भरें।

6.6 आवेदन हेतु शुल्क ऑनलाइन माध्यम से ही देय होगा। ऑनलाईन शुल्क भुगतान करते समय आवेदन पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करने पर ही आवेदन मान्य होगा। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा इस संबंध में बिना किसी सूचना के आवेदन पत्र तत्काल अमान्य कर दिये जावेंगे।

6.7 ऑनलाईन आवेदन से संबंधित किसी भी जानकारी हेतु अभ्यर्थी कार्यालयीन दूरभाष नंबर 0771–255301 पर एवं विज्ञापन के संबंध में किसी भी जानकारी हेतु दूरभाष नंबर 0771–255288 पर कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11:00 से सायं 05:00 के मध्य संपर्क कर सकते हैं।

6.8 उक्त विज्ञापन के संबंध में दावा–आपत्ति, प्रावीण्य सूची, प्रतीक्षा सूची, काउंसिलिंग एवं अन्य समस्त सूचना हेतु निरंतर विभागीय वेबसाईट cghealth.nic.in का अवलोकन करते रहें। अन्य किसी भी माध्यम से कोई भी सूचना नहीं भेजी जावेगी।

(मिशन संचालक द्वारा अनुमोदित)

03/11/2021

संयुक्त संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
छत्तीसगढ़

Appendix-I

[Format for Certification from Principal for Applying for CHO, NHM, CG]

[For Candidates who shall be passed in Final Examination of B.Sc. (Nursing)/Post Basic BSc (Nursing) along with integrated Certificate course in Community Health (CCH)]

College Letter Head

Certificate

This is to certify that Mr./Ms./Mrs. .... University enrollment number ....Son/daughter/Wife of ....is a passed student of B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing course with integrated curriculum of Certificate in Community Health as per notification of University. He/She is due to passed in final examination of the course.

Dated: ....

Authorized Signatory

Signature With Seal